कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़(छ0ग0)

–:: आदेश ::–

क्रमांक **5968** /न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक 20–05–2020

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के प्रसार एवं रोकथाम हेतु स्वास्थ्य के दृष्टिगत COVID-19 के पीड़ित/संदेही से संपर्क/दूर रहने एवं इससे बचने के सभी प्रकार के संभावित उपायों को अमल में लाने एवं COVID-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुये, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का आदेश क्रमांक 40–3/2020–DM-I(A) दिनांक 17–05–2020 तथा छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र कमांक 253/स.सा.प्र.वि./2020, दिनांक 17–05–2020 में दिये गये निर्देश/गाईड लाईन के परिपालन में दिनांक 18–05–2020 से लेकर आगामी 31–05–2020 मध्य रात्रि तक पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। भारत सरकार एवं छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र कमांक 253/स.सा.प्र.वि./2020, दिनांक 17–05–2020 में दिये गये निर्देश/गाईड लाईन के अनुक्रम में कार्यालयीन पत्र कमांक 5428/न्या.लि./2020, दिनांक 17–05–2020 के द्वारा जिला रायगढ़ में जिन गतिविधियों को सोशल डिस्टेंसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये (मॉस्क पहनने के निर्देश) के साथ संचालन करने की अनुमति प्रदान की गई है, के अनुक्रम में रायगढ़ जिला अन्तर्गत उक्त दुकानों को निम्नांकित शर्त एवं दिशा निर्देश के अधीन आगामी आदेश पर्यन्त एतद्द्वारा संचालन करने की अनुमति दी जाती है :–

1– **सेलून/नाई दुकान एवं ब्यूटी पार्लर के संचालन हेतु शर्तें :–**

(1) ''सेलून/नाई दुकान'' एवं ''ब्यूटी पार्लर'' को प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक सोशल डिस्टेसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये 50% कर्मचारियों की उपस्थिति (मॉस्क पहनने के निर्देश) में संचालित किया जावे।

(2) व्यक्ति/ग्राहकों का रजिस्टर संधारित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आवश्यक जानकारी जैसे–नाम, पता, मोबाईल नंबर आदि का ब्यौरा अनिवार्यतः रखा जावे।

(3) कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के दृष्टिगत–
(क) शारीरिक दूरी बनाये रखे।
(ख) भीड़ न बढ़ाये।
(ग) ग्राहक पूर्व से नाम लिखवायें एवं एपाइंटमेंट लेवे।
उक्त निर्देश को दुकान के अग्र भाग पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।

(4) दुकान में भीड़ या प्रतीक्षारत व्यक्ति/ग्राहकों को कम करने की दृष्टि से पूर्वानुमति प्राप्त कर उसी कमानुसार व्यक्तियों का सेविंग या कटिंग, डाई करना सुनिश्चित करें।

(5) दुकान में सेनिटाईजर /हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

(6) उपयोग किया गया ब्लेड और डिस्पोजल सामग्रियों को प्रत्येक नये उपकरण आदि के साथ बदलना अनिवार्य होगा।

(7) सेलून संचालक को प्रत्येक ग्राहक के कार्य पश्चात् कैंची, अस्तुरा, सेविंग, ब्रश, कंघी एवं कुर्सी समस्त उपकरण को सेनिटाईज करना अनिवार्य होगा।

(8) दुकान में वेटिंग करने हेतु अलग से कुर्सी नहीं रखा जावेगा। एक ही ग्राहक/व्यक्ति दुकान में प्रवेश करेगे।

(9) व्यक्ति/ग्राहक को स्वयं के द्वारा टॉवेल/कपड़ा लाना अनिवार्य होगा।

(10) दुकान में भीड़ बढ़ने अथवा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए दुकान संचालक जिम्मेदार होंगे एवं नियमानुसार विधिक कार्यवाही के भागी होगे।

2– **स्टेशनरी और किताबों की दुकानों** के संचालन का समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक (मई माह के प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को छोड़कर) शासन के गाईड लाईन एवं दिशा–निर्देश के तहत सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये संचालित की जा सकेगी।

3– निम्नांकित दुकानों के संचालन का समय कार्यालयीन आदेश कमांक 5428/न्या.लि./2020 दिनांक 17–05–2020 के अनुसार पूर्ववत निम्नानुसार होगा :–

Scanned with CamScanner

(1) **सब्जी एवं फल का विक्रय सशर्त (समय पूर्ववत् प्रातः 07:00 से प्रातः 10:00 बजे तक प्रतिदिन)** की ही अनुमति होगी। इसी प्रकार ठेले के माध्यम से फल एवं सब्जी घूम–घूमकर प्रातः 07:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक बेची जा सकती है किन्तु ठेले को एक ही स्थान पर नहीं रखेगा तथा झुण्ड में नहीं रहेंगे। दो ठेलों के बीच कम–कम से 20 फीट की दूरी होना आवश्यक है।

(2) **खाद्य पदार्थ, ब्रेड, फल, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा के विक्रय/वितरण/भंडारण/परिवहन की अनुमति प्रतिदिन समय प्रातः 07:00 बजे से मध्यान्ह 12:00 बजे तक ही होगी।**

(3) **मिल्क पार्लर/दूध डेयरी का संचालन प्रतिदिन सशर्त– प्रातः 07:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक एवं सायं 05:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक रहेगी।**

(4) **घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर को प्रातः 07.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक की ही अनुमति होगी।**

(5) **पान दुकान/ठेले के संचालन का समय प्रातः 07 बजे से दोपहर 10:00 बजे तक (माह मई 2020 के प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को छोड़कर) की अनुमति होगी। पान दुकान/ठेले में विक्रय किये जाने वाले पदार्थ–सिगरेट, पान, बीडी, तम्बाकू, गुटखा, गुड़ाखू का उपभोग/उपयोग सार्वजनिक स्थान/पान ठेला पर किये जाने पर प्रतिबंध होगा। पान दुकान/ ठेले से इन सामग्रियों का मात्र विक्रय ही किया जावेगा। दो पान ठेले के बीच की दूरी 20 फीट की दूरी होना आवश्यक होगा।**

4– **शेष छुट प्राप्त दुकाने प्रातः 10:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक (माह मई के प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को छोड़कर) संचालित होगी।**

5– जिले/क्षेत्र के हॉटस्पॉट एवं कन्टेन्मेंट जोन में शासन द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देशा पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पॉट एवं कन्टेनमेंट जोन में नहीं होगी।

6– **जिले में कंटेनमेंट जोन घोषित होने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी–**

(1) अत्यावश्क वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य स्वास्थ्यगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कंटेन्मेंट जोन में जाने या आने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्र के निवासी बिना सक्षम अनुमति अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। उक्त चिन्हांकित क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।

(2) उक्त चिन्हांकित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अगले आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे।

(3) कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है उसके लिये पृथक से इस कार्यालय द्वारा आदेश प्रसारित किये जायेंगे।

(4) प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट जोन में पहुंच सेवा के माध्यम से होम डिलेवरी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जावेगी।

(5) जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य निगरानी, सेम्पल की जांच आदि आवश्यक व्यवस्थाएं की जावेगी।

7– उपरोक्त शर्तो तथा शासन के दिशा–निर्देश/एडवायजरी/आदेश की शर्तो का उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हों के अन्तर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

पृ. क्रमांक **5968—A** / न्या.लि. / 2020 रायगढ़, दिनांक 20.05.2020

प्रतिलिपिः—

1— सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
2— सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
3— सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
4— सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन,
5— आयुक्त, बिलासपुर सभाग, बिलासपुर
6— पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर
—— की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
7— पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़
9— आयुक्त, नगर पालिका निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10— सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11— उप संचालक, जनसम्पर्क, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।
12— सर्व तहसीलदार / कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13— सर्व मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14— सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned with CamScanner